PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1958 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक : 11 .11.2024

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 के माध्यम से पिटकुल के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेन्शनरों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति करने हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है, जिसमें अन्य अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के साथ ही धनराशि **"रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) से अधिक के प्रकरण"** एवं **"कैस–लैस हॉस्पिटलों के समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान"** महाप्रबन्धक (वित्त) की संस्तुति के उपरान्त निदेशक (मा0सं0) द्वारा निदेशक (वित्त) की सहमति से किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

पिटकुल में निदेशक (वित्त) के पद पर नवीन नियुक्ति होने अथवा पिटकुल में निदेशक (वित्त) का कार्य प्रभार किसी अन्य अधिकारी को मिलने तक निम्न तालिका के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशक (वित्त) के स्थान पर निदेशक (परिचालन) को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति करने हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	प्रतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि
1	महाप्रबन्धक (वित्त) की संस्तुति के उपरान्त निदेशक (मा0सं0) द्वारा निदेशक (परिचालन) की सहमति से	1. रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) से अधिक के प्रकरण 2. कैस–लैस हॉस्पिटलों के समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2052/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–29 दिनांक 26.12.2020 में वर्णित अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1958 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक :

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डा0ए0ऑ0–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त) पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल,................।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0)–II, पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह उक्त कार्यालय ज्ञाप को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (औ0)